

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या 17/22
(जीसीएमएस संख्या 2021/48)

निर्णय दिनांक: 26.05.2023

1. अलादिता पुत्र श्री गंवरअली खॉ जाति मुसलमान निवासी आडूरी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 31-01-1985
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 31-01-1985 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन सुने एकतरफा तौर पर सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर




प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन बिना सूचना के किसी प्रकार के सबूत पेश नहीं करने के आधार पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा दौराने बहस वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी आराजीराज दर्ज भूमि है।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-01-1985 के विरुद्ध अपील दिनांक 18-01-22 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।


राजस्थान अपील अधिकारी
बीकानेर

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-01-1985 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 18-01-2022 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है, जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रख सके। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलाट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन श्रेणी आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत अपीलाट को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस किस दिनांक को जारी किया गया है, उसका अंकन कहीं नोटिस पर अंकित नहीं है तथा इसी के साथ नोटिस तामीली की सुनिश्चितता भी अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किये बिना दिनांक 31-01-1985 को अपीलाट का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत पेश नहीं करने के अभाव में खारिज कर दिया गया।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जाँच नहीं की गई कि न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रार्थी पर विधिवत तामील प्राप्त हुई भी है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से बिना तथ्यों की जाँच व अपीलाट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अपीलाट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के उद्देश्य मात्र से एक साईक्लोस्टाईल आदेश के माध्यम से अपीलाट का आवांटन प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि वे अपीलाट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का एक



राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर



अवसर प्रदान करते। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये गये आदेश की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। जो पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।



अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 31-01-1985 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलांत को वांछित सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए व सबूतों जाँच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 26/5/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)

राजस्थान हाईकोर्ट अधिकारी
बीकानेर